

प्रपत्र संख्या 3

उत्तर प्रदेश सरकार वैध पंजीकरण के अधीन
के तहत वैध नवीनीकरण सोसाइटी पंजीकरण
अधिनियम 1860



नोट : पंजीकरण प्रमाण पत्र के नवीनीकरण के
लिए आवेदन अधिनियम की धारा 52 की
उपधारा (5) के तहत निर्धारित प्रपत्र संख्या 4
पर किया जाना चाहिए।



रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र

दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उत्तर प्रदेश

(उत्तर प्रदेश निःशक्त व्यक्तियों के लिए संस्थाओं की रजिस्ट्रीकरण नियमावली, 2006 के अधीन स्वीकृत)

प्रमाण-पत्र संख्या : 5925/R/OL/2023-24

दिनांक : 13-03-2024

प्रमाणित किया जाता है कि SAURABH SAGAR SEWA SANSTHAN (संस्था का नाम) जो सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860, कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र संख्या 14 दिनांक 01-02-2010 द्वारा रजिस्ट्रीकृत है या एक रजिस्ट्रीकृत लोक न्यास है या भारतीय रेडकास सोसाइटी की एक शाखा है, जो इस नियमावली में यथा उल्लिखित रजिस्ट्रीकरण की अपेक्षाओं को पूरा करती है एतद्वारा अधोहस्ताक्षरी निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 द्वारा और इस नियमावली द्वारा भी प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त संस्था को रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र जारी कर रहा है। यह प्रमाण-पत्र दिनांक 12-03-2029 तक विधिमान्य रहेगा।

1. संस्था के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पूरा नाम व पता SAURABH SAGAR SEWA SANSTHAN ii-C 201 NEHRU NAGAR GHAZIABAD UTTAR PRADESH- 201001
2. संस्था की शाखायें / इकाइयों का पूरा नाम व पता VILL-DIDOLI 4TH KM STONE KAWAD MARG GANG NAHAR MURAD NAGAR GHAZIABAD 201206
3. संस्था के सचिव/प्रबंधक का पूरा नाम व पता SANJAY JAIN 174, 2C, NEHRU NAGAR GHAZIABAD 201001 UTTAR PRADESH

यह रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र दिनांक 13-03-2024 को हस्ताक्षरित किया जा रहा है।

Prepared by
[Signature]

